54

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग/3134/II/15

मायाबाई पिता श्री हल्के पाण्डेय, निवासी दुरौहा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना म0प्र0 द्वारा मुख्त्यातारआम नित्यानन्द तिवारी पुत्र श्री शम्भूनाथ तिवारी, निवासी दुरौहा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना मं0प्र0 -- आवेदिका

बनाम

1. पप्पू पिता कौंशल प्रसाद शुक्ला,
2. पुरूषोत्तम पिता कौशल प्रसाद शुक्ला, निवासीगण दुरौहा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना म0प्र0

-- अनावेदकगण

3. रामदुलारे पिता व. श्री बन्दी प्रसाद शुक्ला, निवासी दुरौहा, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना म0प्र0

4- म.प्र. शासन -- आवेदक/आपत्तिकर्त्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुनौर, जिला पन्ना प्रकरण क्रमांक 41/अ-66/14-15

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यहकि, आवेदिका ग्राम दुरौहा की आबादी भूमि सर्वे नम्बर 403 जुज 15 X 20 = 300 वर्गफीट का पट्टा उत्तरवादी क्रमांक 2 पुरूषोत्तम प्रसाद शुक्ला को मुझ आवेदिका की पुश्तैनी भाग पर दिनांक 17.07.1973 से भवन निर्मित होने के उपरान्त भी अवैधानिक रूप से अनावेदक क्रमांक 2 को आवासीय पट्टा कर दिया गया। जबकि अनावेदक क्रमांक 1 को 403 में आबादी का कोई भाग रिक्त न होने के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3134-II/15 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-9-15	प्रकरण में निगरानीकर्ता मायाबाई के अभि. के तर्क सुने गये। अभिलेखों का अवलोकन किया। इसके परिणाम स्वरूप यह पाया जाता है कि अनु. अधि. गुन्नौर जिला पन्ना द्वारा उनके प्र.क्र. 41/अ-6अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25-8-15 के द्वारा किसी पक्षकार के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। अनु. अधि. द्वारा रामदुलारे को न्यायहित के लिए जोड़ा है प्रकरण में पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देने का निर्णय लिया गया है। अनु. अधि. के इस निर्णय से निगरानीकार मायाबाई के भविष्य में हित प्रतिकूल रूप से तथा विधि विरुद्ध प्रभावित हो जायेंगे, ऐसा इस स्टेज पर संभावित होना मान्य नहीं किया जा सकता। यदि आराजी नं. 304 एवं 403 को लेकर तकनीकी प्रकृति की त्रुटि एस.डी.ओ. न्यायालय में हुई है (जैसा कि निगरानीकार द्वारा कहा गया है), तो इस संबंध में भी एस.डी.ओ. द्वारा प्रकरण की आगामी कार्यवाही के दौरान स्थिति स्पष्ट करते हुये उचित निर्णय ही लिया जावेगा।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	ऐसा ~~[illegible]~~ नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त के प्रकाश में यह निगरानी भू० अधिकारी को इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि वे उनके समक्ष के प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान करते हुये न्यायोचित निर्णय पारित करें। प्रकरण इसी स्टेज पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) 18.09.2015 सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.